

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वनभूमि-48/2019- 382 व0प0, राँची, दिनांक- 14/02/2022

प्रेषक

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- लातेहार जिला अंतर्गत मौजा-बारिखाप में 200 शैय्या का बालक/बालिका विद्यालय-सह-छात्रावास भवन निर्माण हेतु 1.99 हे0 जंगल-झाड़ी वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

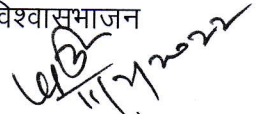
प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक-FC-11/160/2019-FC दिनांक-23.06.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में विषयक परियोजना को विभागीय पत्रांक-3607 दिनांक-18.09.2019 द्वारा प्रदत्त स्टेज-I की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-644 दिनांक-08.06.2021 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयक परियोजना में अंतिम (स्टेज-II) स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विषयक प्रस्ताव में सन्निहित 1.99 हे0 जंगल-झाड़ी भूमि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अतः उक्त जंगल-झाड़ी भूमि का हस्तांतरण राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के स्तर से अपेक्षित है। तदनुसार निज स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त आशय की सूचना देने की कृपा की जाय।

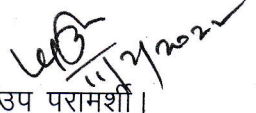
विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-48/2019- 382 व0प0, राँची दिनांक- 14/02/2022

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003/उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं0-A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची, झारखण्ड-834002 को स्टेज-I के अनुपालन प्रतिवेदन (अनुलग्नक सहित) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।


उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-48/2019- 382 व0प0, राँची दिनांक- 14/02/2022

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में सन्निहित 1.99 हे0 जंगल-झाड़ी भूमि के हस्तांतरण हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।


उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-48/2019- 382

व०प०, राँची दिनांक- 14/02/2022

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर/मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल/ परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, उपायुक्त कार्यालय परिसर, विकास भवन, 1st Floor, लातेहार, झारखण्ड-829206 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/02/2022
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-48/2019- 382

व०प०, राँची दिनांक- 14/02/2022

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय Website "forest.jharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

14/02/2022
उप परामर्शी।